



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 372 राँची, शुक्रवार,

14 अगस्त, 2020 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

अधिसूचना

14 अगस्त, 2020 ई०।

संख्या- म०म०स०-13/विविध -1009/2002-998-बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-269, दिनांक 26.02.2002 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य के राज्य संप्रतीक (State Emblem) के स्थान पर निम्न अंकित चिन्ह को भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 के नियम- 4(2) के अपेक्षानुसार भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत झारखण्ड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक (State Emblem) के रूप में अंगीकृत किया जाता है -



“राज्य संप्रतीक का विन्यास चक्राकार है जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। वृत्ताकार खण्ड में प्रयुक्त हरा रंग झारखण्ड की हरी-भरी धरती एवं वन सम्पदा को प्रतिबिम्बित करता है। इसमें प्रयुक्त किया गया 'हाथी' राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ ही राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। राज्य संप्रतीक में प्रयुक्त किया गया 'पलाश का फूल' राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है तथा वृत्ताकार खण्डों के बीच सुशोभित 'सौर चित्रकारी' जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिम्बित करता है। चक्र के मध्य में प्रयुक्त 'अशोक स्तम्भ' राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही उपबंधित शक्तियों के अन्तर्गत राज्य के सम्प्रभु शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखण्ड की भागीदारी को भी प्रदर्शित करता है।”

2. राज्य संप्रतीक (State Emblem) में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह 'अशोक स्तम्भ' के साथ-साथ वृत्ताकार खण्डों के बीच 24 हाथी, 24 पलाश के फूल, सौर चित्रकारी के 48 नर्तक तथा अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त प्रयुक्त किये गये हैं।

3. झारखण्ड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक (State Emblem) के रूप में यह 15 अगस्त, 2020 की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के सचिव
